

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 46

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	18407.17	3402.08	21809.25	21570.92	3337.00	24907.92	20274.14	3677.00	23951.14	24828.69	3575.00	28403.69	
पूँजी	955.25	...	955.25	1989.08	...	1989.08	1302.86	...	1302.86	2298.31	...	2298.31	
जोड़	19362.42	3402.08	22764.50	23560.00	3337.00	26897.00	21577.00	3677.00	25254.00	27127.00	3575.00	30702.00	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	1.89	40.65	42.54	3.00	48.00	51.00	3.60	51.00	54.60	4.00	52.00	56.00
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.40	1.40	...	1.50	1.50
स्वास्थ्य													
3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	2210	1.62	36.15	37.77	2.20	41.15	43.35	2.20	40.37	42.57	2.30	41.00	43.30
4. राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय	2210	13.45	2.17	15.62	24.70	4.12	28.82	24.70	4.01	28.71	25.00	4.00	29.00
	4210	0.70	...	0.70	0.70	...	0.70	1.00	...	1.00
	जोड़	13.45	2.17	15.62	25.40	4.12	29.52	25.40	4.01	29.41	26.00	4.00	30.00
5. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना													
5.01 सीजीएचएस औषधालयों की स्थापना	2210	46.96	592.97	639.93	53.00	585.00	638.00	53.00	665.00	718.00	57.81	605.00	662.81
	4210	10.25	...	10.25	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
	जोड़	57.21	592.97	650.18	78.00	585.00	663.00	78.00	665.00	743.00	82.81	605.00	687.81
5.02 घटाएं वसूलियां	2210	-5.00	-5.00
	कुल	57.21	592.97	650.18	78.00	585.00	663.00	78.00	665.00	743.00	82.81	600.00	682.81
अस्पताल और औषधालय													
6. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	2210	103.64	182.66	286.30	115.00	183.00	298.00	135.00	203.00	338.00	153.55	210.00	363.55
	4210	35.66	...	35.66	35.00	...	35.00	27.88	...	27.88	100.00	...	100.00
	4216	0.25	...	0.25	12.00	...	12.00	1.00	...	1.00	4.00	...	4.00
	जोड़	139.55	182.66	322.21	162.00	183.00	345.00	163.88	203.00	366.88	257.55	210.00	467.55
7. डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	2210	78.48	120.01	198.49	95.00	128.00	223.00	100.00	131.25	231.25	115.65	138.00	253.65
	4210	36.74	...	36.74	59.75	...	59.75	40.60	...	40.60	68.70	...	68.70
	4216	0.24	...	0.24	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.30	...	0.30
	जोड़	115.46	120.01	235.47	155.00	128.00	283.00	140.85	131.25	272.10	184.65	138.00	322.65
8. केंद्रीय मनोरोग विज्ञान संस्थान, रांची	2210	10.68	25.36	36.04	10.00	27.00	37.00	10.00	28.50	38.50	11.90	30.00	41.90

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	4210	2.19	...	2.19	29.00	...	29.00	26.73	...	26.73	32.34	...	32.34
	4216	1.07	...	1.07	1.00	...	1.00	2.24	...	2.24	1.50	...	1.50
	जोड़	13.94	25.36	39.30	40.00	27.00	67.00	38.97	28.50	67.47	45.74	30.00	75.74
9. अखिल भारतीय काय औषध और पुनर्वास संस्थान, मुंबई	2210	3.26	8.64	11.90	5.00	9.50	14.50	4.42	9.50	13.92	5.75	10.00	15.75
	4210	0.31	...	0.31	4.00	...	4.00	2.00	...	2.00	4.60	...	4.60
	जोड़	3.57	8.64	12.21	9.00	9.50	18.50	6.42	9.50	15.92	10.35	10.00	20.35
10. कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली	2210	19.80	26.49	46.29	22.08	28.00	50.08	22.08	28.00	50.08	25.40	30.00	55.40
	4210	3.36	...	3.36	5.14	...	5.14	5.14	...	5.14	5.35	...	5.35
	4216	0.60	...	0.60	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	23.76	26.49	50.25	28.22	28.00	56.22	28.22	28.00	56.22	31.75	30.00	61.75
11. सीजीएचएस पेंशनभोगियों का चिकित्सा उपचार	2071	...	645.49	645.49	...	604.00	604.00	...	754.00	754.00	...	630.00	630.00
जोड़-अस्पताल और औषधालय		296.28	1008.65	1304.93	394.22	979.50	1373.72	378.34	1154.25	1532.59	530.04	1048.00	1578.04
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान													
12. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय	2210	12.00	18.72	30.72	13.40	20.00	33.40	13.40	21.40	34.80	15.40	22.50	37.90
13. कैसर अनुसंधान	2210	31.97	12.00	43.97	175.00	12.00	187.00	105.00	14.74	119.74	72.00	15.00	87.00
14. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	2210	37.81	101.46	139.27	40.00	114.00	154.00	41.00	129.00	170.00	67.00	131.00	198.00
	4210	12.61	...	12.61	35.00	...	35.00	25.00	...	25.00	20.00	...	20.00
	4216	0.48	...	0.48	5.00	...	5.00	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00
	जोड़	50.90	101.46	152.36	80.00	114.00	194.00	68.00	129.00	197.00	92.00	131.00	223.00
15. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली	2210	400.00	585.00	985.00	412.35	610.00	1022.35	412.35	650.00	1062.35	474.00	650.00	1124.00
16. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संस्थान, बंगलुरु	2210	70.45	62.11	132.56	95.00	71.23	166.23	95.00	78.23	173.23	109.00	80.00	189.00
17. अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर	2210	21.39	9.14	30.53	30.00	11.00	41.00	30.00	11.10	41.10	34.50	12.00	46.50
18. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	2210	79.00	317.00	396.00	140.00	330.00	470.00	92.00	364.00	456.00	161.00	385.00	546.00
19. जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी	2210	99.53	134.00	233.53	105.00	145.00	250.00	105.00	145.00	250.00	120.75	155.00	275.75
20. कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा	2210	32.73	...	32.73	45.00	...	45.00	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00
21. वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	2210	2.00	...	2.00	8.00	...	8.00	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50
	4210	4.99	...	4.99
	जोड़	6.99	...	6.99	8.00	...	8.00	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
22. डा. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	2210	4.71	...	4.71	14.00	...	14.00	12.86	...	12.86	16.10	...	16.10
	4210	0.10	...	0.10	1.80	...	1.80	9.95	...	9.95
	4216	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
	जोड़	4.71	...	4.71	14.15	...	14.15	14.66	...	14.66	26.10	...	26.10
23. एम्स की तरह के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल - सह शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन	2210	21.54	...	21.54	55.94	...	55.94	33.66	...	33.66	128.00	...	128.00
	4210	600.97	...	600.97	1508.80	...	1508.80	865.25	...	865.25	1376.21	...	1376.21
	4216	31.33	...	31.33	51.83	...	51.83	20.00	...	20.00	40.00	...	40.00
	जोड़	653.84	...	653.84	1616.57	...	1616.57	918.91	...	918.91	1544.21	...	1544.21
24. अन्य शैक्षणिक संस्थाएं	2210	286.44	7.67	294.11	4.45	9.43	13.88	3.36	8.78	12.14	4.40	9.72	14.12
	4210	15.30	...	15.30
	जोड़	286.44	7.67	294.11	4.45	9.43	13.88	3.36	8.78	12.14	19.70	9.72	29.42
जोड़-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान जन स्वास्थ्य		1749.95	1247.10	2997.05	2738.92	1322.66	4061.58	1901.18	1422.25	3323.43	2722.16	1460.22	4182.38
25. पत्तन/वायु विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन/प्रतिष्ठान (जहाजों के डि-रेटाइजेशन सहित)	2210	0.82	14.98	15.80	1.87	20.00	21.87	1.75	18.18	19.93	1.80	21.00	22.80
26. क्षय रोग/कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान	2210	3.47	17.47	20.94	4.76	21.63	26.39	4.52	21.23	25.75	5.50	22.50	28.00
	4210	1.00	...	1.00	2.34	...	2.34	2.14	...	2.14	2.77	...	2.77
	4216	0.61	...	0.61	0.61	...	0.61	0.63	...	0.63
	जोड़	4.47	17.47	21.94	7.71	21.63	29.34	7.27	21.23	28.50	8.90	22.50	31.40
27. नर्सिंग सेवाओं का विकास	2210	25.47	...	25.47	34.00	...	34.00	25.00	...	25.00	22.50	...	22.50
28. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली	2210	13.57	19.18	32.75	15.20	24.50	39.70	13.40	22.98	36.38	17.45	24.50	41.95
	3601	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
	जोड़	13.57	19.18	32.75	15.25	24.50	39.75	13.45	22.98	36.43	17.50	24.50	42.00
29. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम *	2210	1175.47	7.96	1183.43
	4210
	जोड़	1175.47	7.96	1183.43
30. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	2210	90.76	...	90.76	110.00	...	110.00	70.00	...	70.00	117.00	...	117.00
31. खाद्य अपमिश्रण निवारण, (स्टेपल भोजन के विटामिन एवं मिनरल पुष्टिकरण की व्यवहार्यता जांच स्कीम की परियोजना सहित)	2210	32.37	0.38	32.75	50.00	0.29	50.29	40.00	0.21	40.21	50.00	0.31	50.31
32. केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन	2210	25.70	14.28	39.98	38.00	19.50	57.50	37.62	18.98	56.60	52.60	21.50	74.10

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
4210	0.02	...	0.02	20.00	...	20.00	
जोड़	25.70	14.28	39.98	38.00	19.50	57.50	37.64	18.98	56.62	72.60	21.50	94.10	
33. सीरा एवं वैक्सीन का विनिर्माण	2210	17.19	5.82	23.01	26.12	13.28	39.40	26.00	6.57	32.57	44.73	13.00	57.73
4210	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00	173.27	...	173.27	
जोड़	17.19	5.82	23.01	58.12	13.28	71.40	58.00	6.57	64.57	218.00	13.00	231.00	
34. जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	2210	17.76	24.29	42.05	56.56	36.50	93.06	22.56	32.39	54.95	35.92	39.50	75.42
4210	22.00	...	22.00	47.00	...	47.00	28.01	...	28.01	17.57	...	17.57	
जोड़	39.76	24.29	64.05	103.56	36.50	140.06	50.57	32.39	82.96	53.49	39.50	92.99	
35. जन स्वास्थ्य शिक्षा	2210	3.83	26.41	30.24	8.75	33.08	41.83	8.75	33.85	42.60	10.00	34.95	44.95
4210	0.94	...	0.94	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00	
जोड़	4.77	26.41	31.18	13.75	33.08	46.83	13.75	33.85	47.60	16.00	34.95	50.95	
36. आपातकालीन चिकित्सा राहत सहित स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रबंधन	2210	35.26	...	35.26	80.50	...	80.50	2.00	...	2.00	3.85	...	3.85
4210	45.50	...	45.50	
जोड़	35.26	...	35.26	80.50	...	80.50	2.00	...	2.00	49.35	...	49.35	
37. लाला रामस्वरूप क्षय रोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली	2210	23.59	11.00	34.59	35.23	14.00	49.23	29.54	12.50	42.04	34.28	13.20	47.48
38. हजयानियों के टीकाकरण के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन की खरीद	2210	...	3.10	3.10	...	6.00	6.00	...	4.37	4.37	...	6.00	6.00
39. अभिधात केंद्रों के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता	2210	84.09	...	84.09	98.32	...	98.32	48.32	...	48.32	102.00	...	102.00
40. राष्ट्रीय आरोग्य निधि	2210	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00
3601	...	5.00	5.00	...	7.00	7.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	
3602	1.00	1.00	...	0.50	0.50	...	1.00	1.00	
जोड़	...	15.00	15.00	...	18.00	18.00	...	20.50	20.50	...	21.00	21.00	
41. अन्य स्वास्थ्य योजनाएं													
41.01 निगरानी समिति	2210	101.43	...	101.43	200.00	...	200.00	354.00	...	354.00	131.00	...	131.00
4210	45.00	...	45.00	9.50	...	9.50	47.00	...	47.00	234.00	...	234.00	
4216	31.75	...	31.75	0.50	...	0.50	23.00	...	23.00	25.00	...	25.00	
जोड़	178.18	...	178.18	210.00	...	210.00	424.00	...	424.00	390.00	...	390.00	
41.02 तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम	2210	29.28	...	29.28	42.00	...	42.00	26.00	...	26.00	
41.03 लोक स्वास्थ्य संस्थान	2210	0.13	...	0.13	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	...	0.25	
41.04 टेलीमेडिसिन	2210	0.30	...	0.30	20.00	...	20.00	2.68	...	2.68	...	20.00	
41.05 राष्ट्रीय मधुमेह, कार्डियोवेस्कुलर रोग एवं आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम	2210	38.02	...	38.02	105.00	...	105.00	105.00	...	105.00	270.00	...	270.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
41.06 राष्ट्रीय बधिरता कार्यक्रम	2210	10.45	...	10.45	20.00	...	20.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
41.07 नई पहलें	2210	118.18	...	118.18	125.20	...	125.20	96.95	...	96.95	199.99	...	199.99
	4210	17.43	...	17.43	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	56.25	...	56.25
	जोड़	135.61	...	135.61	155.20	...	155.20	126.95	...	126.95	256.24	...	256.24
41.08 अन्य स्कीमें	2210	6.72	4.72	11.44	9.50	5.38	14.88	10.11	5.44	15.55	3.36	5.67	9.03
41.09 जिला अस्पताल	2210	225.00	...	225.00	260.00	...	260.00	260.00	...	260.00	313.80	...	313.80
41.10 मानव स्वास्थ्य संसाधन	2210	252.60	...	252.60	263.00	...	263.00	163.00	...	163.00	454.50	...	454.50
	4210	73.00	...	73.00	73.00	...	73.00	73.00	...	73.00
	4216	13.00	...	13.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00
	जोड़	338.60	...	338.60	348.00	...	348.00	248.00	...	248.00	454.50	...	454.50
41.11 स्वास्थ्य बीमा	2210	90.00	...	90.00	1.00	...	1.00
41.12 नई योजनाएं-सीएस	2210	58.10	...	58.10
41.13 नई योजनाएं-सीएसएस	2210	62.00	...	62.00
जोड़- अन्य स्वास्थ्य योजनाएं		962.29	4.72	967.01	1259.95	5.38	1265.33	1218.99	5.44	1224.43	1848.25	5.67	1853.92
42. मेडिकल स्टोर संगठन													
42.01 भंडारण	2210	...	43.74	43.74	...	42.00	42.00	...	41.42	41.42	0.01	42.00	42.01
	4210	10.08	...	10.08	0.01	...	0.01
	जोड़	10.08	43.74	53.82	...	42.00	42.00	...	41.42	41.42	0.02	42.00	42.02
42.02 भारत एवं विदेश में सामान की खरीद	2210	102.00	102.00
42.03 घटाएं वसूलियां	2210	-102.00	-102.00
	कुल	10.08	43.74	53.82	...	42.00	42.00	...	41.42	41.42	0.02	42.00	42.02
जोड़-जन स्वास्थ्य		2545.66	208.33	2753.99	1906.26	254.16	2160.42	1616.28	238.62	1854.90	2611.69	265.13	2876.82
जोड़-स्वास्थ्य		4664.17	3095.37	7759.54	5145.00	3186.59	8331.59	4001.40	3524.50	7525.90	5975.00	3418.35	9393.35
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन													
43. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम													
43.01 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम													
43.01.01 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम													
43.01.01.01 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	164.02	-37.88	126.14	210.29	7.28	217.57	174.92	7.36	182.28	234.92	404.89	639.81
43.01.01.02 घटाएं वसूलियां	2210	-397.23	-397.23
	कुल	164.02	-37.88	126.14	210.29	7.28	217.57	174.92	7.36	182.28	234.92	7.66	242.58
43.01.02 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	3601	247.63	...	247.63	219.63	...	219.63	255.00	...	255.00	212.00	...	212.00
	3602	0.03	...	0.03	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08
	जोड़	247.66	...	247.66	219.71	...	219.71	255.08	...	255.08	212.08	...	212.08

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
जोड़- राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	411.68	-37.88	373.80	430.00	7.28	437.28	430.00	7.36	437.36	447.00	7.66	454.66	
43.02 राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम													
43.02.01 एनटीबीसीपी													
43.02.01.01 एनटीबीसीपी	2210	329.52	20.00	349.52	356.00	...	356.00	356.00	...	356.00	598.00	140.00	738.00
43.02.01.02 घटाएं वसूलियां	2210	-140.00	-140.00
कुल		329.52	20.00	349.52	356.00	...	356.00	356.00	...	356.00	598.00	...	598.00
43.02.02 एनटीबीसीपी	3601	19.00	...	19.00	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	75.15	...	75.15
	3602	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00
जोड़		20.00	...	20.00	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00	80.15	...	80.15
जोड़- राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम		349.52	20.00	369.52	380.00	...	380.00	380.00	...	380.00	678.15	...	678.15
43.03 राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	30.73	...	30.73	33.52	...	33.52	33.52	...	33.52	40.20	...	40.20
	3601	6.27	...	6.27	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
जोड़		37.00	...	37.00	39.52	...	39.52	39.52	...	39.52	46.20	...	46.20
43.04 राष्ट्रीय ट्रेकोमा एवं अंधता निवारण कार्यक्रम	2210	202.10	...	202.10	261.00	...	261.00	223.00	...	223.00	261.00	...	261.00
43.05 राष्ट्रीय आयोडीन अल्प विकार नियंत्रण कार्यक्रम	2210	20.24	...	20.24	40.60	...	40.60	30.65	...	30.65	41.10	...	41.10
	3601	4.40	...	4.40	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
	3602	0.20	...	0.20	0.40	...	0.40	0.35	...	0.35	0.40	...	0.40
जोड़		24.84	...	24.84	47.00	...	47.00	36.00	...	36.00	46.50	...	46.50
43.06 राष्ट्रीय समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम	2210	48.98	...	48.98	55.00	...	55.00	39.50	...	39.50	56.70	...	56.70
43.07 राष्ट्रीय स्वापक नशामुक्ति नियंत्रण कार्यक्रम	2210	12.75	...	12.75	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	20.70	...	20.70
जोड़- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम		1086.87	-17.88	1068.99	1230.52	7.28	1237.80	1166.02	7.36	1173.38	1556.25	7.66	1563.91
44. निदेशन और प्रशासन	2211	5.66	10.82	16.48	8.48	12.69	21.17	8.48	11.58	20.06	18.86	11.85	30.71
	3601	354.89	...	354.89	368.02	...	368.02	373.05	...	373.05	419.50	...	419.50
	3602	6.73	...	6.73	6.00	...	6.00	2.54	...	2.54	5.50	...	5.50
जोड़		367.28	10.82	378.10	382.50	12.69	395.19	384.07	11.58	395.65	443.86	11.85	455.71
45. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं (उप केंद्र)	2211	9.02	...	9.02	9.36	...	9.36	9.36	...	9.36	9.57	...	9.57
	3601	3109.00	...	3109.00	3161.14	...	3161.14	3368.58	...	3368.58	3720.94	...	3720.94
	3602	1.86	...	1.86	4.50	...	4.50	3.38	...	3.38	4.50	...	4.50
जोड़		3119.88	...	3119.88	3175.00	...	3175.00	3381.32	...	3381.32	3735.01	...	3735.01
46. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	2211	0.76	...	0.76	1.02	...	1.02	1.12	...	1.12
	3601	160.88	...	160.88	190.24	...	190.24	190.77	...	190.77	234.00	...	234.00
	3602	12.13	...	12.13	12.00	...	12.00	6.45	...	6.45	6.13	...	6.13

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
जोड़	173.01	...	173.01	203.00	...	203.00	198.24	...	198.24	241.25	...	241.25	
47. गर्भ निरोधन													
47.01 गर्भ निरोधकों (कंडोमों को छोड़कर) का निःशुल्क वितरण													
47.01.01 एफडीसी													
47.01.01.01 एफडीसी	2211	1.29	5.96	7.25	4.13	...	4.13	3.13	...	3.13	2.25	112.40	114.65
47.01.01.02 घटाएं वसूलियां	2211	-112.40	-112.40
कुल		1.29	5.96	7.25	4.13	...	4.13	3.13	...	3.13	2.25	...	2.25
47.01.02 एफडीसी	3601	54.20	...	54.20	137.00	...	137.00	105.56	...	105.56	101.40	...	101.40
	3602	0.48	...	0.48	1.50	...	1.50	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
जोड़		54.68	...	54.68	138.50	...	138.50	108.56	...	108.56	106.40	...	106.40
जोड़- गर्भ निरोधकों (कंडोमों को छोड़कर) का निःशुल्क वितरण		55.97	5.96	61.93	142.63	...	142.63	111.69	...	111.69	108.65	...	108.65
47.02 गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन (कंडोमों के सामाजिक विपणन के अतिरिक्त)	2211	26.13	...	26.13	155.55	...	155.55	155.56	...	155.56	112.50	...	112.50
47.03 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के लिए कंडोमों का निःशुल्क वितरण एवं सामाजिक विपणन *	2210	296.52	...	296.52
जोड़- गर्भ निरोधन		378.62	5.96	384.58	298.18	...	298.18	267.25	...	267.25	221.15	...	221.15
48. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना (आरसीएचपी)													
48.01 आरसीएचपी													
48.01.01 आरसीएचपी	2211	10.93	103.85	114.78	16.72	...	16.72	19.40	...	19.40	23.75	287.50	311.25
48.01.02 घटाएं वसूलियां (आरसीएचपी)	2211	-287.50	-287.50
कुल		10.93	103.85	114.78	16.72	...	16.72	19.40	...	19.40	23.75	...	23.75
48.02 आरसीएचपी	3601	72.04	...	72.04	219.00	...	219.00	174.00	...	174.00	252.00	...	252.00
	3602	0.81	...	0.81	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	5.00	...	5.00
जोड़		72.85	...	72.85	223.50	...	223.50	178.50	...	178.50	257.00	...	257.00
जोड़- प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना (आरसीएचपी)		83.78	103.85	187.63	240.22	...	240.22	197.90	...	197.90	280.75	...	280.75
49. नेमी रोग प्रतिरक्षण													
49.01 नैमित्तिक प्रतिरक्षण													
49.01.01 नैमित्तिक प्रतिरक्षण	2211	0.66	2.88	3.54	4.99	...	4.99	4.10	...	4.10	6.15	464.49	470.64
49.01.02 घटाएं वसूलियां	2211	-464.49	-464.49
कुल		0.66	2.88	3.54	4.99	...	4.99	4.10	...	4.10	6.15	...	6.15
49.02 नैमित्तिक प्रतिरक्षण	3601	387.64	...	387.64	482.00	...	482.00	392.00	...	392.00	755.85	...	755.85

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
3602	3.92	...	3.92	24.00	...	24.00	14.50	...	14.50	15.00	...	15.00	
4211	0.01	...	0.01	
जोड़	391.56	...	391.56	506.01	...	506.01	406.50	...	406.50	770.85	...	770.85	
जोड़- नेमी रोग प्रतिरक्षण	392.22	2.88	395.10	511.00	...	511.00	410.60	...	410.60	777.00	...	777.00	
50. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण													
50.01 पल्स पोलियो प्रतिरक्षण													
50.01.01 पल्स पोलियो प्रतिरक्षण	2211	375.47	135.20	510.67	284.34	...	284.34	300.34	...	300.34	395.06	394.31	789.37
50.01.02 घटाएं वसूलियां	2211	-394.31	-394.31	
कुल		375.47	135.20	510.67	284.34	...	284.34	300.34	...	300.34	395.06	...	395.06
50.02 पल्स पोलियो प्रतिरक्षण													
3601	452.08	...	452.08	365.62	...	365.62	465.62	...	465.62	365.40	...	365.40	
3602	15.35	...	15.35	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00	16.00	...	16.00	
जोड़	467.43	...	467.43	379.62	...	379.62	479.62	...	479.62	381.40	...	381.40	
जोड़- पल्स पोलियो प्रतिरक्षण		842.90	135.20	978.10	663.96	...	663.96	779.96	...	779.96	776.46	...	776.46
51. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी)	2211	168.57	4.10	172.67	158.00	4.95	162.95	158.00	6.32	164.32	207.00	6.45	213.45
52. राज्यों और केंद्रों के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थान	2211	23.71	40.52	64.23	44.97	49.73	94.70	22.69	50.54	73.23	50.26	51.34	101.60
3601	111.41	...	111.41	123.90	...	123.90	125.10	...	125.10	143.98	...	143.98	
3602	0.63	...	0.63	0.65	...	0.65	0.29	...	0.29	0.60	...	0.60	
4211	3.50	...	3.50	3.49	...	3.49	7.01	...	7.01	
जोड़	135.75	40.52	176.27	173.02	49.73	222.75	151.57	50.54	202.11	201.85	51.34	253.19	
53. अनुसंधान संस्थान	2211	20.49	...	20.49	25.17	...	25.17	21.00	...	21.00	21.70	...	21.70
54. राज्य परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं का फ्लेक्सिबल पूल													
54.01 मिशन फ्लेक्सिबल पूल	2211	4167.79	...	4167.79	4970.50	...	4970.50	4300.50	...	4300.50	5152.00	...	5152.00
54.02 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य फ्लेक्सिबल पूल	2211	3622.14	...	3622.14	3805.00	...	3805.00	3785.00	...	3785.00	4345.51	...	4345.51
जोड़- राज्य परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं का फ्लेक्सिबल पूल		7789.93	...	7789.93	8775.50	...	8775.50	8085.50	...	8085.50	9497.51	...	9497.51
अन्य सेवाएं													
55. क्षेत्र परियोजनाएं													
55.01 इंडिया पापुलेशन प्रोजेक्ट्स	2211	0.10	...	0.10	0.02	...	0.02
55.02 यूएसएआईडी से सहायता प्राप्त एसआईएफपीएसए परियोजना	2211	3.14	...	3.14	0.10	...	0.10	12.00	...	12.00	10.00	...	10.00
जोड़- क्षेत्र परियोजनाएं		3.14	...	3.14	0.20	...	0.20	12.00	...	12.00	10.02	...	10.02
56. परिवार कल्याण की अन्य योजनाएं													
56.01 परिवार कल्याण संबद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना	2211	40.26	...	40.26	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00
56.02 गैर सरकारी संगठन (सरकारी निजी	2211	0.90	...	0.90	1.75	...	1.75	1.75	...	1.75	1.80	...	1.80

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
भागीदारी)													
56.03 प्रबंधन सूचना प्रणाली	2211	72.53	...	72.53	140.00	...	140.00	120.00	...	120.00	145.00	...	145.00
56.04 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग	2211	0.66	...	0.66	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.60	...	4.60
56.05 सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजना	2211	0.26	...	0.26	0.35	...	0.35
56.06 अन्य योजनाएं	2211	17.32	6.15	23.47	25.72	10.11	35.83	27.12	7.40	34.52	259.74	8.70	268.44
56.07 अंतर्राष्ट्रीय योगदान	2211	2.31	...	2.31	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
जोड़- परिवार कल्याण की अन्य योजनाएं		133.98	6.15	140.13	219.73	10.11	229.84	200.87	7.40	208.27	459.49	8.70	468.19
जोड़-अन्य सेवाएं		137.12	6.15	143.27	219.93	10.11	230.04	212.87	7.40	220.27	469.51	8.70	478.21
जोड़-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन		14696.42	291.60	14988.02	16056.00	84.76	16140.76	15414.30	83.20	15497.50	18429.30	86.00	18515.30
57. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2210	...	13.02	13.02	...	16.65	16.65	...	16.90	16.90	6.00	17.15	23.15
58. उत्तरपूर्वी क्षेत्रों और सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान													
58.01 एनआरएचएम के अंतर्गत स्कीमें													
58.01.01 राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2552	156.50	...	156.50	154.00	...	154.00	202.90	...	202.90
58.01.02 परिवार कल्याण	2552	1627.50	...	1627.50	1558.70	...	1558.70	1909.80	...	1909.80
जोड़- एनआरएचएम के अंतर्गत स्कीमें		1784.00	...	1784.00	1712.70	...	1712.70	2112.70	...	2112.70
58.02 स्वास्थ्य स्कीमें	2552	572.00	...	572.00	445.00	...	445.00	600.00	...	600.00
जोड़- उत्तरपूर्वी क्षेत्रों और सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान		2356.00	...	2356.00	2157.70	...	2157.70	2712.70	...	2712.70
59. सहायता सामग्री और उपस्कर													
59.01 सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल	3606	81.60	...	81.60	...	81.60	81.60	...	375.36	375.36
59.02 घटाइए - कार्यात्मक मुख्य शीर्षा को अंतरण	3606	-81.60	...	-81.60	...	-81.60	-81.60	...	-375.36	-375.36
59.03 निवल - सहायता सामग्री और उपस्कर	3606
जोड़- सहायता सामग्री और उपस्कर	
60. वास्तविक वसूलियां	2210	...	-20.65	-20.65
	2211	...	-18.91	-18.91
	3601	-0.06	...	-0.06
जोड़		-0.06	-39.56	-39.62
कुल जोड़		19362.42	3402.08	22764.50	23560.00	3337.00	26897.00	21577.00	3677.00	25254.00	27127.00	3575.00	30702.00
विकास शीर्ष													
	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	1.89	...	1.89	3.00	...	3.00	3.60	...	3.60	4.00	...	4.00
2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	5751.04	...	5751.04	6375.52	...	6375.52	5167.42	...	5167.42	7537.25	...	7537.25
3. परिवार कल्याण	22211	13609.49	...	13609.49	14825.48	...	14825.48	14248.28	...	14248.28	16873.05	...	16873.05
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	2356.00	...	2356.00	2157.70	...	2157.70	2712.70	...	2712.70
जोड़		19362.42	...	19362.42	23560.00	...	23560.00	21577.00	...	21577.00	27127.00	...	27127.00

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं:** इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिवालय के लिए प्रावधान है।

3. **स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय:** इसमें चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों में तकनीकी विशेषज्ञता का प्रावधान है और यह विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी है और देश और विदेश में जैव चिकित्सीय सूचना के संग्रहण, संसाधन और आपूर्ति के लिए फोकल बिन्दु है।

4. **राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय:** यह भारत में जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान सूचना के केन्द्र के रूप में कार्य करता है और अपनी सूचना उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से पूरे देश में सभी औषधि व्यवसायियों और प्रैक्टिसनरों तक पहुंच बनाता है।

5. **केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना:** इसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा विशेष वर्ग के लोगों जैसे संसद सदस्यों, पूर्व संसद सदस्यों, पूर्व राज्यपालों, पूर्व राष्ट्रपतियों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीशों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों आदि के लिए व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत इन सुविधाओं में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक, यूनानी/सिद्धा औषधालयों/एककों के नेटवर्क के माध्यम से बहिरंग रोगी परिचर्या प्रदान करना शामिल है।

6. **सफदरजंग अस्पताल:** यह केन्द्रीय सरकार का एक अस्पताल है जो दिल्ली तथा पड़ोसी राज्यों के लाखों नागरिकों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान करता है। यह अपने परिसर में आयुर्वेदिक ओपीडी, होमियोपैथिक ओपीडी की सुविधाएं भी प्रदान करता है।

7. **डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली:** यह भी केन्द्रीय सरकार का एक अस्पताल है जिसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, संसद सदस्यों इत्यादि के लिए एक नर्सिंग होम भी है। अस्पताल का उद्देश्य सभी मुख्य संकायों में विभिन्न विशिष्टताओं/अति विशिष्टताओं में व्यापक रोगी परिचर्या प्रदान करना है। अस्पताल में लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के स्नातक विद्यार्थियों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र भी है। इस अस्पताल द्वारा एक नर्सिंग स्कूल भी चलाया जा रहा है।

8. **केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची:** यह देश में केन्द्र सरकार का एक प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है। यह संस्थान दो पड़ोसी देशों अर्थात् नेपाल और भूटान की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। नैदानिक और उपचार सुविधाओं के अतिरिक्त यह मनोचिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है।

9. **अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई:** यह सम्पूर्ण दक्षिण एशिया में एक प्रमुख संस्थान है जिसमें चिकित्सा पुनर्वास सेवाओं की सुविधाएं हैं। संस्थान स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रशिक्षण भी आयोजित करता है और पुनर्वास औषधियों में अनुसंधान करता है।

10. **कलावती सरन बाल चिकित्सा अस्पताल, नई दिल्ली:** यह बच्चों के रोगों के इलाज के लिए एक विशिष्ट अस्पताल है और यह लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज द्वारा संचालित है। इसमें बच्चों के लिए बाल चिकित्सा, सर्जरी, ओर्थोपेडिक्स और गहन परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध हैं।

12. **बल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली:** यह राष्ट्रीय संस्थान वक्ष रोगों में उन्नत और मूलभूत अनुसंधान, स्नातकोत्तर शिक्षण, रेफरल क्लीनिकल और प्रयोगशाला निदान सेवाओं के लिए समर्पित है। यह भारत के विभिन्न भागों से संकाय सदस्यों और चिकित्सा व्यवसायियों के लिए श्वसन तंत्र रोगों में अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं भी आयोजित करता है।

13. **कैंसर अनुसंधान (नियंत्रण):** इसमें सीएनसीआई, कोलकाता को एक कैंसर के उपचार केन्द्र के रूप में स्थापित करने और कैंसर पर धीरे-धीरे इसके बुनियादी और नैदानिक अनुसंधान करने और साथ ही तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

14. **लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली:** यह अस्पताल केन्द्र सरकार द्वारा चलाया जाता है तथा इसमें महिलाओं के लिए स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा, पुरुष विद्यार्थियों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और महिलाओं और बच्चों के लिए चिकित्सा परिचर्या प्रदान की जाती है। महाविद्यालय के अंतर्गत सहयोगी अस्पताल जैसे श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल चिकित्सा अस्पताल है जो विद्यार्थियों को व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह नर्सिंग स्कूल भी चलाता है जिसमें नर्सिंग और नर्सधत्री पाठ्यक्रमों को भी चलाया जाता है।

15. **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली:** इसकी स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक प्रमुख संस्थान के रूप में चिकित्सा सेवाओं के विभिन्न विधाओं से संबंधित प्रयोगों और अनुसंधान करने के लिए की गई है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र इसके साथ सम्बद्ध है। इस संस्थान को केन्द्रीय सरकार से शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त है।

16. **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बँगलोर:** यह एक स्वायत्त संस्थान है और इसे भारत सरकार से अनुसंधान सहायता अनुदान प्राप्त होता है और यह मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम प्रदान करता है। यह संस्थान एक मानद विश्वविद्यालय है और चिकित्सा एवं परा चिकित्सा विषयों में डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

17. **अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर:** यह संस्थान वाक एवं श्रवण समस्याओं से ग्रसित रोगियों को निदान, उपचार और परामर्शी सेवाओं के रूप में नैदानिक सेवाएं प्रदान करता है। यह संस्थान वाक एवं श्रवण व्यवसायियों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

18. **स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़:** यह संस्थान संसद के एक अधिनियम के तहत एम्स, नई दिल्ली जैसे कार्य संचालन वाले एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था परन्तु यह स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करता है। यह संस्थान पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित है और चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और विशेषीकृत अस्पताल सेवाओं का एक केन्द्र है।

19. **जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी:** यह एक स्वायत्त संस्थान है जिसे भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता है और यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसका अस्पताल पुडुचेरी और पड़ोसी राज्यों के लोगों को चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराता है। शिक्षण पाठ्यक्रम में अद्यतन विकास प्रदर्शित करते हुए इसके द्वारा चिकित्सा शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र का भी संचालन किया जाता है।

20. **कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी:** देश में यह ग्रामीण परिवेश में स्थित महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, सेवाग्राम, वर्धा के प्रबंधन का कार्य देखता है और यह विभिन्न स्नातकोत्तर विषयों में डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान करता है। इसके पास उत्कृष्ट नैदानिक और उपचारात्मक सुविधाएं और स्नातक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त आधार है।

21. **वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय, नई दिल्ली:** यह सफदरजंग अस्पताल से संबद्ध चिकित्सा कालेज है।

22. **डा. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली:** यह संस्थान डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के परिसर में स्थापित किया गया है ताकि विभिन्न विशेषज्ञता प्राप्त विषयों जैसे मेडिसिन, अस्थिविज्ञान, शल्यचिकित्सा, संवेदनाहरण, विकिरण विज्ञान, त्वचा, नेत्र तथा बाल-विज्ञान में दिल्ली विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों को एमडी/एमएस/डीएनबी छात्रों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

23. **एम्स जैसे बहु-विशेषज्ञता प्राप्त अस्पताल सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन:** प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में छह एम्स जैसे अस्पताल सह-शिक्षा केन्द्रों को स्थापित किया जा रहा है और साथ ही उन्नीस राज्य सरकारी अस्पतालों का उन्नयन किया जा रहा है।

24. **अन्य शैक्षणिक संस्थान:** इनमें राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग महाविद्यालय, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, भारतीय फार्मसी परिषद, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आदि शामिल हैं।

25. **बंदरगाह/वायुपत्तन स्वास्थ्य संगठन/स्थापना:** यह देश में बड़े बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय वायु-पत्तनों में स्वास्थ्य निकासी और संगरोध प्रबंध हेतु संचालन और प्रबंध कार्य करता है। इस संगठन का उद्देश्य अधिसूचित स्थानिकमारी देशों से आने वाले या इनके जरिए संचारित होने वाले संचारी रोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलने से रोकना है।

26. **टीबी/कुष्ठ रोग प्रशिक्षण संस्थान:** इनमें राष्ट्रीय क्षयरोग प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपटूर और आस्का, रायपुर और गौरीपुर में स्थित क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।

27. **नर्सिंग सेवाओं का विकास:** इनमें नर्सों का प्रशिक्षण, नर्सिंग विद्यालयों को आवर्ती सहायता मुहैया करवाना, मेडिकल कॉलेज के साथ संबद्ध नर्सिंग महाविद्यालय में नर्सिंग विद्यालयों का उन्नयन करना शामिल है।

28. **राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली:** यह जानपदिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों में शिक्षण और अनुसंधान और संचारी रोगों के नियंत्रण और केन्द्र/राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को संचारी रोगों के नियंत्रण में सेवा/सलाह प्रदान किए जाने के लिए समर्पित है।

30. **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:** इसमें समस्या के प्रति सामुदायिक अवधारणा की परिकल्पना की गई है जिसमें शामिल है:-(क) राज्य के भीतर अभिजात नोडल संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य दल का प्रशिक्षण (ख) मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना (ग) समुदाय को मानसिक रोग के शीघ्र पता लगाने और उपचार के लिए सुविधाएं मुहैया कराना और (घ) भविष्य योजना, सेवाओं और अनुसंधान में सुधार के लिए राज्य और केन्द्र में समुदाय स्तर पर उपयोगी डाटा और अनुभव मुहैया करवाना।

31. **खाद्य अपमिश्रण निवारण:** इसका उद्देश्य नए स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के जरिए (i) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ परामर्श कर राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण (ii) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों को लागू करना और इसमें प्रावधानों को लागू करने में राज्यों से संपर्क करना और समन्वय स्थापित करना। (iii) प्रशिक्षण, उपकरण एवं प्रयोगशाला सुविधाओं जैसी प्रशासनिक सहायता प्रदान करना और (iv) उपभोक्ता शिक्षा प्रदान करना।

32. **केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन:** यह देश में औषधों, प्रसाधन सामग्री और चिकित्सा युक्तियों के गुणवत्ता मानकों को विनियमित करता है और विभिन्न तकनीकी एवं सांविधिक निकायों के जरिए विभिन्न औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियमों एवं उनके अंतर्गत नियम को प्रशासित करता है।

33. **सेरा एवं वैक्सीन का निर्माण:** इसमें बीसीजी वैक्सीन एवं ट्यूबरकुलीन के विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिए वी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिन्डी के लिए प्रावधान है। इसमें भारतीय पाश्चर संस्थान, कून्नूर के लिए अनुदान सहायता का भी प्रावधान है।

34. **जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं:** इसमें केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली जो कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का अधीनस्थ कार्यालय है, राष्ट्रीय जैविक मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान, नोएडा, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, का प्रावधान किया गया है। संस्थान का उद्देश्य जैविक एवं रोग प्रतिरक्षण संबंधी उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रक्रियाओं हेतु मानक तैयार करना और निर्धारित करना, अन्य राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ संबंध विकसित करना, विश्वव्यापी वैज्ञानिक अनुसंधान से अवगत रखना और संबंधित संस्थाओं के कार्मिकों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु जैविक एवं रोग प्रतिरक्षण जैविकों के गुणवत्ता नियंत्रण में प्रौद्योगिकीय विकास करना है। सेरम-विज्ञान संस्थान, कोलकाता जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, औषध-संवेदनशीलता जांच करने के लिए प्रयोगशाला यूनिट के उपयोग, विभागीय उत्पादन हेतु स्वतंत्र गुणवत्ता आश्वासन से सेरा-रोधी वैक्सीन का उत्पादन करता है।

35. **जन स्वास्थ्य शिक्षा:** इसमें अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता और बाल परिचर्या एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सिंगुर जो कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीनस्थ कार्यालय हैं, के लिए प्रावधान है। यह देश में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में से है। इसका उद्देश्य स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनशक्ति का विकास करना, देश में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं एवं रोगों के संबंध में अनुसंधान करना और स्वास्थ्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए विधियां विकसित करने हेतु प्रचालन संबंधी अनुसंधान करना और स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए निष्कर्षों का अनुप्रयोग करना है।

36. **आपाती चिकित्सा राहत सहित स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा से निपटने की तैयारी एवं प्रबंधन:** इसमें प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपाती चिकित्सा राहत प्रदान करने का प्रावधान है।

37. **लाला राम स्वरूप क्षय रोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली:** यह देश की एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या, क्षय रोग के बारे में कार्य करने में लगे देश के प्रमुख शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों में से एक है।

39. **अभिघात केन्द्रों के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता:** इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे नगरों/शहरों में स्थित राज्य अस्पतालों की आपाती सुविधाओं को उन्नत/सुदृढ़ करते हुए इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना एवं आघात सेवाओं के लिए आवश्यक सुसज्जित एंबुलेंस और बुनियादी अनिवार्य उपकरणों के साथ दुर्घटना एवं आपाती सेवाएं बढ़ाना है।

41. **अन्य स्वास्थ्य योजनाएं:** इसमें विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएं और स्वास्थ्य परिचर्या के कार्य में लगे संस्थानों जैसे कि सिंहावलोकन समिति, कार्डियोवैस्क्युलर्स रोग तथा स्ट्रोक तथा कतिपय नई पहले जैसे वृद्धों की परिचर्या, कार्यक्रम मौजूदा शाखाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए और एनसीडीसी की २७ ब्रांचों की स्थापना करने और जोनेटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के अंतरक्षेत्रीय समन्वय को सुदृढ़ करने, स्वास्थ्य बीमा, वायरल हेपेटाइटिस आदि की व्यवस्था है।

42. **चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन:** इसमें चिकित्सा सामग्री की भण्डारण व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु प्रावधान शामिल है।

43.01. **राष्ट्रीय वेक्टरजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** यह मलेरिया, काला-अजार, जापानी इन्फ्लेन्जाइडिस, फलेरिया एवं डेंगू जैसे वेक्टरजन्य रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है। 5 राज्यों (उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखण्ड और कर्नाटक) में विश्व बैंक की सहायता से और 7 पूर्वोत्तर राज्यों में एफजीएटीएम की सहायता से एक मलेरिया नियंत्रण परियोजना चलाई जा रही है। फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जन औपधि प्रशासन शुरू किया गया और पूरा किया गया।

43.02. **राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम:** क्षयरोग एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1962 से चल रहा है और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से इसे चलाया जा रहा है। नोडल एजेंसियाँ जिला क्षयरोग केन्द्र हैं। कार्यक्रम की समीक्षा वर्ष 1992 में की गई और उसके परिणामस्वरूप एक संशोधित कार्यनीति बनाई गई। संशोधित कार्यनीति में संक्रामक रोगियों में रोगमुक्ति दर को बढ़ाकर 85 प्रतिशत से अधिक करने पर जोर दिया गया है। संशोधित कार्यक्रम में विकिरण विज्ञान के बजाय निदान के लिए स्पूटम जांच को बढ़ावा दिया गया है।

43.03. **राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है। देश के सभी जिलों के लिए एम डी टी सेवाएं स्वीकृत की गई हैं। यह कार्यक्रम 610 जिला कुष्ठ सोसायटियों के माध्यम से चलाया जाता है। 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उन्मूलन स्तर की व्याप्तता दर प्राप्त कर ली है।

43.04. **राष्ट्रीय काला मोतिया (ट्रिकोमा) एवं दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम शिविर लगाकर और स्थायी नेत्र परिचर्या सुविधाएं स्थापित करके और स्वास्थ्य शिक्षा उपायों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में नेत्र परिचर्या सेवा के प्रबंधन को विकेन्द्रीकृत करने और सरकारी, गैर-सरकारी एवं निजी क्षेत्र में भागीदारी विकसित करने के लिए जिला स्वास्थ्य सोसायटियों की संकल्पना को कार्यान्वित किया गया है।

43.05. **राष्ट्रीय आयोडिन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण खाद्य नमक को आयोडिनयुक्त करना है।

43.06. **राष्ट्रीय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम संचारी रोगों की निगरानी के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य संचारी रोगों की निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करना और जिला स्तर पर राज्य क्षमता विकसित करना है ताकि बड़ी संख्या में रूग्णताओं व मृत्यु को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु शुरू में ही जिला स्तर पर प्रकोप का पता लगाया जा सके।

43.07. **नशामुक्ति कार्यक्रम:** नशामुक्ति कार्यक्रम की भूमिका प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाना है। इस योजना के अंतर्गत नशामुक्ति केन्द्रों को अनुदान सहायता मुहैया करवाई जाती है।

44. **निदेशन एवं प्रशासन:** राज्य एवं जिला परिवार कल्याण ब्यूरो राज्यों/जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के निदेशन एवं प्रशासन हेतु साधन हैं। इस योजना के अंतर्गत इन ब्यूरो में तैनात स्टाफ को वेतन दिया जाता है। इसमें बाहनों को बदलने/रखरखाव करने का भी प्रावधान है।

45. **ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं (उपकेन्द्र):** निचले स्तर पर व्यापक प्राथमिक परिचर्या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक 5000 ग्रामीण लोगों (आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 लोगों) के लिए उपकेन्द्र स्थापित किए गए हैं। उपकेन्द्रों के पास मुख्य रूप से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण, सार्वभौमिक रोग प्रतिरक्षण, अतिसार नियंत्रण और संचारी रोग कार्यक्रमों से संबंधित संवर्धनात्मक एवं शिक्षाप्रद कार्य हैं। उन्हें महिलाओं और बच्चों की अनिवार्य स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे रोगों हेतु बुनियादी औषधियां भी प्रदान की जाती हैं। स्वेप प्रस्ताव के तहत सभी उपकेन्द्रों का वित्त पोषण 1.4.2002 से केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।

46. **शहरी परिवार कल्याण सेवाएं:** शहरी परिवार कल्याण केन्द्र आउटरीच सेवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य और गर्भनिरोधकों का वितरण करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। शहरी मलिन बस्तियों में आउटरीच सेवा प्रदानगी प्रणाली को उन्नत बनाने के उद्देश्य से शहरी सुधार योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत स्टाफ के वेतन, आकस्मिक खर्चों और किराये के लिए वित्तीय सहायता अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार की जाती है।

47.01&02. **गर्भनिरोधकों का निशुल्क एवं वाणिज्यिक वितरण:** इस तथ्य को समझते हुए कि नए दम्पति प्रजनन आयु समूह में प्रवेश कर रहे हैं, परिवार नियोजन हेतु उनके लिए टर्मिनल प्रणालियों अर्थात् बन्ध्यकरण का समर्थन नहीं किया जा सकता। उनकी आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में परिवार नियोजन की परिवार में जन्म अंतर प्रणालियों के तहत विभिन्न गर्भनिरोधक अर्थात् खाने वाली गर्भनिरोधक गोण्डियां, सीयू - टीएस आदि इस कार्यक्रम के तहत पेश किए जाते हैं।

48. **प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना:** इस योजना के तहत मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य प्रथम रेफरल एकाइयों को समुचित रूप से औषधियों, उपकरणों और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति की जाती है। सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्यक्रम की ओर से औषधियां एवं अन्य आपूर्तियों की उपलब्धता आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न श्रेणियों के स्वास्थ्य कर्मियों को आगे प्रशिक्षित करने के लिए राज्यों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को अनुदान जारी किए जाते हैं। आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल के तहत आरसीएच कार्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रम कवर किए जाते हैं।

49. **नेमी रोग प्रतिरक्षण:** यह 0-5 आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन से रोके जाने वाले छह रोगों अर्थात् क्षय रोग, पर्टुसिस, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस और खसरा के विरुद्ध वैक्सीकरण के लिए व्यवस्था करता है।

50. **पल्स पोलियो प्रतिरक्षण:** यह राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवसों और उप राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवसों के माध्यम से देश में से पोलियो विषाणु के सभी घटकों का उन्मूलन करने की व्यवस्था करता है। यह 3-18 आयु वर्ष के पोलियो (तीव्र विषाणु) प्रभावित बच्चों को सुधारात्मक सर्जरी प्रदान करने की भी इच्छा रखता है ताकि वे सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें।

51. **सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण:** सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यनीति का लक्ष्य गरीबों, महिलाओं और बच्चों को गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच और उसकी उपलब्धता के बारे में जागरूकता फैलाने और सूचना का परिचालन करने की सुविधा देने पर आधारित है। इसका मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्योन्मुखी आचरण को बढ़ावा देने का है जोकि लोगों के रहने की स्थिति पर आधारित है और जिसे बदलने की आवश्यकता है। सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण के तहत मुख्य घटक सरल व सीधे सन्देशों पर आधारित है। बहुआयामी मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से नई पहलों की रूपरेखा बना दी गई है एवं नियोजित कर दी गई हैं।

52. **राज्य एवं केन्द्र के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थान:** परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक शिक्षित, प्रशिक्षित और जुझारू कर्मियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तदनुसार इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण पर ज्यादा बल दिया जाता है। प्रशिक्षण केन्द्रों एवं विद्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त काफी सारे अति प्रतिष्ठित संस्थान जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान आदि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हैं।

53. **अनुसंधान संस्थान:** इनमें विभिन्न जनसांख्यिकीय, सामाजिक आर्थिक, क्षेत्रीय विशिष्ट और जनसंख्या और परिवार कल्याण कार्यक्रम के सम्प्रेषण पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त पुरुष एवं महिला बन्ध्यकरणों का विकास करने और प्रजनन विनियमन पर अध्ययन करने के उद्देश्य हेतु चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में अनुसंधान करने की व्यवस्था है।

54.01. **मिशन फ्लेक्सीबल पूल:** इसमें मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के चयन एवं प्रशिक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रथम रेफरल एकाइयों और भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों में उन्नयन, रोगी कल्याण समिति एवं जिला अस्पताल प्रबन्धन समिति, सचल चिकित्सा एकाइयों का गठन, उप केन्द्रों के लिए खुली निधियां, जिला कार्य योजनाओं की तैयारी, ग्राम स्तरीय कर्मी को जल जांच किट की आपूर्ति आदि जैसे कार्यक्रमों पर राज्य एवं जिला स्तरीय सोसायटियों के माध्यम से करने की आवश्यकता है।

54.02. **आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल:** यह फ्लेक्सीबल पूल राज्यों द्वारा विकेन्द्रिकृत योजना एवं फ्लेक्सीबल प्रोग्रामिंग को सहयोग देता है जिसमें विशेष रूप से संवेदनशील भागों और समुदाय आधारित मानीटरिंग एवं मूल्यांकन से संबंधित परिणामों पर ध्यान देते हुए राज्य एवं जिला स्तरीय परियोजना क्रियान्वयन योजनाओं का विकास शामिल है। नवजात शिशु एवं बाल रोग के एकीकृत प्रबन्धन और साक्ष्य आधारित कार्यक्रमों को अपनाने पर बल देते हुए शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुल प्रजननता दर को कम करने की तकनीकी कार्यनीति अनिवार्य रूप से आरसीएच-1 के अनुरूप ही होनी चाहिए। आर सी एच-11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना आधार के बजाय आवश्यकता आधार पर योजना बनाने की सुविधा उन्हें बिना कड़े नियामक निर्देशों से बाध्यकारी किए बिना प्रदान करता है।

55.01. **भारत जनसंख्या परियोजनाएं:** इस योजना के तहत महाराष्ट्र में बुनियादी स्वास्थ्य परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए निधियां निर्धारित की गई हैं।

55.02. **यू एस ए आई डी से सहायता प्राप्त एस आई एफ पी एस ए परियोजना:** परिवार नियोजन सेवाओं में नवाचार, परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवाओं के पुनरभिमुखीकरण एवं पुनरुत्थान के लिए शुरुआत करने का प्रावधान है, जिसका विस्तार उत्तराखंड एवं झारखंड राज्यों में भी हो चुका है। इसका उद्देश्य बी सी सी एवं विपणन के जरिये

आर सी एच सेवाओं के लिए मांग में वृद्धि करना, निजी क्षेत्रों के जरिये एकीकृत आर सी एच सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना एवं सार्वजनिक तथा निजी आर सी एच सेवाओं के प्रावधान के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों की क्षमता को सुदृढ़ करना है।

56.01. परिवार कल्याण संबद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना: इस योजना में बन्धयीकरण शल्य-प्रक्रिया के पश्चात् हुई मौतों/चिकित्सीय जटिलताओं के लिए मुआवजे का प्रावधान है। इसमें बन्धयीकरण शल्य-प्रक्रिया की विफलता के लिए भी मुआवजे का प्रावधान है। इसके अलावा, बन्धयीकरण शल्य-प्रक्रिया करने के लिए डाक्टरों/स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान है।

56.02. गैर-सरकारी संगठन (सरकारी-निजी भागीदारी): राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता के जरिये समुदाय के बीच कार्यक्रम को व्यापक स्वामित्व बनाने की बात कही गई है। सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी में, विशेष रूप से गैर-सरकारी संगठन एक अनुपूरक अथवा पूरक भूमिका निभा सकता है और इस तरह से लोगों में सार्थक पहुंच बनाने में सहायता कर रहा है क्योंकि वे प्रक्रियाओं, समुदायों से संबंध बनाने में लचीलेपन की तुलनात्मक सुविधा प्रदान करते हैं और ये कार्यक्रम क्रियान्वयन के प्रमुख भाग हैं।

56.03. सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम आई एस): इसका उद्देश्य आर सी एच-II एवं एन आर एच एम के अंतर्गत नेमी मॉनीटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ करता है। यह विभिन्न सर्वेक्षणों के संचालन के लिए सुविधा प्रदान करती है। (i) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III (एन एफ एच एस -III) (ii) जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण (दौर-III) एवं वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (ए एच एस)।

56.04. राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग: इसमें निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल हैं : (i) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एन पी पी) में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन के लिए समीक्षा, मॉनीटरिंग और दिशा-निर्देश देना, (ii) जनसंख्या स्थिरीकरण में तेजी लाने के लिए जनानिकी शैक्षणिक पर्यावरणीय एवं विकासत्मक कार्यक्रमों के बीच कार्यनीति का संबद्धन (iii) केन्द्र एवं राज्य सरकारों की सरकारी एजेंसियों के बीच योजनाओं एवं कार्यान्वयन में अन्तर-क्षेत्रीय समन्वय को प्रोत्साहन देना, सिविल सोसाइटी एवं निजी क्षेत्रों को शामिल करना एवं नीति में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना तथा (iv) राष्ट्र के इस प्रयास में सहयोग के लिए कर्मठ लोगों की गतिविधियों के विकास को सुकर बनाना।

56.05. क्षेत्रीय सामाजिक विपणन परियोजनाएं: इस परियोजना के तहत, गैर सरकारी संगठनों को, उन क्षेत्रों में जहां गर्भनिरोधकों का प्रयोग कम है, गर्भ-निरोधकों की सामाजिक विपणन के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

56.06. अन्य योजनाएं: इसमें भारतीय चिकित्सा संगठन (आई एम ए) को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी स्थानीय शाखाओं के जरिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए बैठकों, सम्मेलनों/मेलों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है और योजनाएं जैसे राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जिला अस्पतालों को सुदृढ़ बनाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में मुफ्त जेनेरिक औषधों को उपलब्ध करना।

56.07. अंतर्राष्ट्रीय अंशदान: इसमें, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत सरकार के योगदान के लिए सहायता करने की व्यवस्था है।

57. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता हेतु प्रावधान शामिल है।